न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2017

1. कतरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 के.के. हाल 7 के. के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरविन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह
3. लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचनसिंह — जाति जटसिख निवासी चक 7 के.के. तह0
4. शेरसिंह पुत्र जसवंतसिंह — पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. जसविन्द्रसिंह पुत्र बलकरण सिंह
6. गुरसाहबसिंह पुत्र बलकरणसिंह
7. सुखमन्दरसिंह पुत्र जसबिन्द्र सिंह ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. गेन्दासिंह पुत्र इन्द्रसिंह
2. निरंजनसिंह — पि0 मुखत्यारसिंह
3. महेन्द्रसिंह
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह —मृतक — जाति जटसिख निवासी 5 के.के. तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
   - 4/1 चरणजीतकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह
   - 4/2 जसवीरकौर
   - 4/3 हरदीपसिंह
   - 4/4 गगनदीप कौर
   - 4/5 सुखदीपकौर

   — पिसरान जोगेन्द्रसिंह
5. सुखमन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह
6. रूपसिंह पुत्र अवतारसिंह
7. रघुवीरसिंह पुत्र कर्मसिंह
8. रणधीरसिंह पुत्र कर्मसिंह
9. बलकरणसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

25/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

10. हरपालसिंह पुत्र करनैलसिंह | जाति जटसिख
11. कौरसिंह पुत्र जरनैलसिंह | निवासी चक 5 के.के. तह0
12. हरमीत रानी पत्नी अमृतपाल जाति ब्राहमण | पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. बलशेर सिंह पुत्र दरबारासिंह जाति जटसिख
14. गुरविन्द्र कौर पत्नी बलशेरसिंह जाति जटसिख
15. दर्शनसिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख
16. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 14.06.2017

उपस्थितिः–

श्री मोहनलाल पूनियां अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री हरजीतसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री सतीश गौंसाई, अभिभाषक रेस्पों. सं. 6
श्री इकबालसिंह सिद्धू ,राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 25.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि.की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष पेश कर चक 6 के.के. मु.नं. 19 के कि.नं. 21 से 25 व मु.नं. 20 के कि.नं. 25 तक 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने दिनांक 14.06.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए मु.नं. 19 के कि.नं. 21 से 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली तलबी हेतु चल रही थी एवं पत्रावली दिनांक 19.05.2017 को नियत थी किन्तु पत्रावली दिनांक 14.06.2017 को कैम्प में रखकर अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

25/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया दो अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है एवं पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किया हुआ है। राजीनामा के आधार पर अपीलांट अधी. न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की फर्दअहकाम दिनांक 24.01.2017 में अंकित है कि वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 , 2, 4 , 13 से 17, 20 की तामील हो चुकी है जिनकों आवाज लगवाई गई परन्तु उपस्थित नहीं हुए एवं अप्रार्थी 5 नोटिस लेने से इन्कार है। अतः अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5, 13 से 17 , 20 से विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष 3/1 से 3/5 , 12 व 18 के नोटिस तलवाना प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी व जबाब हेतु दिनांक 17.02.2017 को पेश हो। दिनांक 17.02.2017, 24.03.2017 एवं 13.04.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण साविक आदेश 24.01.2017 को पत्रावली अन्तिम नियत दिनांक 19.05.2017 को निर्धारित थी। परन्तु इस तिथि को पत्रावली ओपन ही नहीं हुई, सीधे ही दिनांक 14.06.2017 को पत्रावली का निर्णय हुआ, जिससे स्पष्ट है कि विधिक प्रकिया यथा तलवाना , जबाब इत्यादि की पालना नहीं हुई है तथा अपीलांट को सुना नहीं गया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 14.06.2017 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर विधिक आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर